

दिनांक 04.01.2021

प्रार्थी/अभिभाषक श्री शशीकान्त शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. अधिनियम Act. 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.01.2021 को पेश हो।

खुद
उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

25/1/21
पत्रावली पेश हुई। आज जज सभ, मण्डावर द्वारा कार्य स्थान किए जाने का आदेश दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकानुसार अभिन कार्यवाही हेतु दिनांक...*08/02/21* को पेश हो।

खुद

11/2/21 आज 25 पत्रावली वाडी/अमील के साथ के आदेश पत्र पेश हुई वाडी/अमील के साथ अदालत के नोटिस के जरिये मण्डावर जज सभ के निकट भेजा गया। मनीषा के साथ मनीषा के वाड के नोटिस के जरिये भेजा जा रहा है। पत्रावली के साथ सुधार के लिए जिला लेख नोटिस के जरिये मण्डावर जज सभ के निकट भेजा गया।

Mans
मधुसूता शर्मा



खुद
उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०
1-2-21